



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आदेश सुरक्षित किया गया :05.12.2025

आदेश पारित किया गया:19.12.2025

दाण्डिक प्रकरण सं 165/2025

1 - माँ भगवती कंस्ट्रक्शन, एक साझेदारी फर्म, जिसके भागीदार पारुल राय पिता श्री राजेश कुमार राय,के द्वारा निवासी फ्लैट नंबर 107, प्रथम मंजिल, वैशाली प्राइड, मिनोचा कॉलोनी, बिलासपुर, जिला- बिलासपुर छत्तीसगढ़- 495001

---आवेदक

बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य -प्रधान सचिव के द्वारा , लोक निर्माण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नया रायपुर सी. जी.
- 2 - इंजीनियर-इन-चीफ, लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर, नया रायपुर सी. जी.
- 3 - मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर जोन, रायपुर सी. जी.
- 4-अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सर्कल नंबर 1, रायपुर सी. जी.
- 5 - कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग, रायपुर प्रभाग संख्या 2, चिकित्सा कॉलेज परिसार, रायपुर सी. जी.

----उत्तरवादीगण

(वाद कारण प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)

आवेदक हेतु : श्री आनंद दादरिया अधिवक्ता

राज्य हेतु : श्री राहुल तमस्कर, शासकिय अधिवक्ता

(माननीय श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद, न्यायाधीश)

सीएवी आदेश



1. छत्तीसगढ़ मध्यस्थम अधिकार, रायपुर (संक्षिप्तता के लिए इसे आगे "माननीय न्यायाधिकरण" कहा गया है) की युगल पीठ द्वारा दिनांक 14.02.2025 को पारित निर्णय/आदेश (अनुलग्नक पी/1) से व्यथित होकर, संदर्भ प्रकरण संख्या 02/2023, जिसका शीर्षक मां भगवती कंस्ट्रक्शन बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य है, में याचिकाकर्ता द्वारा दायर संदर्भ याचिका को विचारणीय न मानते हुए खारिज कर दिया गया है, याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ मध्यस्थम अधिकार अधिनियम, 1983 की धारा 19 के तहत वर्तमान सिविल पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करने के लिए विवश है।

2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक ए-श्रेणी का ठेकेदार है और छत्तीसगढ़ राज्य के लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी विभिन्न निविदाओं में भाग लेने के लिए विधिवत पात्र है। आवेदक ने माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष एक संदर्भ प्रकरण दायर किया, जिसमें 40,27,584/- रुपये (चालीस लाख सत्ताईस हजार पांच सौ चौरासी रुपये मात्र) के अपने दावों को वाद से पूर्व, वाद के दौरान और वाद के पश्चात का ब्याज, मध्यस्थता की लागत और अन्य उपयुक्त अनुतोष भी शामिल हैं। हालांकि, दावों की योग्यता पर निर्णय किए बिना, माननीय न्यायाधिकरण ने केवल विचारणीयता के आधार पर संदर्भ याचिका को त्रुटिपूर्ण तरीके से खारिज कर दिया गया। उत्तरवादी विभाग ने निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु दिनांक 01.05.2017 को निविदा आमंत्रण जारी किया। आवेदक, एक पात्र बोलीदाता होने के नाते, निविदा प्रक्रिया में शामिल हुआ तथा उसकी बोली दिनांक 05.07.2017 के पत्र द्वारा स्वीकार कर ली गई थी। इसके फलस्वरूप, रायपुर केंद्रीय कारागार में विद्युतीकरण कार्य सहित 50-50 क्षमता वाले कैदियों के बैरक (जी+1) (12 इकाइयाँ) के निर्माण के लिए क्रमांक 64/डी.एल./2017-18 का एक करार किया गया (जिसे आगे विषय कार्य कहा गया है)। इसके बाद 18.09.2017 को कार्य आदेश जारी किया गया और आवेदक ने तदनुसार विषय कार्य का निष्पादन प्रारंभ किया गया था। संबंधित कार्य का कुल संविदा मूल्य 11,12,33,000 रुपये था। कार्य पूरा करने के लिए 18 महीने का समय निर्धारित किया गया था, जिसमें बरसात का मौसम भी शामिल था, और कार्य पूरा करने की निर्धारित तिथि 17.03.2019 थी। कार्य आदेश जारी होने के तुरंत बाद, आवेदक ने 20.09.2017 को एक विस्तृत कार्य कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें उसने निर्धारित तिथि से काफी पहले कार्य पूरा करने का अपना आशय स्पष्ट रूप से दर्शाया। आवेदक ने 12.11.2018 को पूरा कार्य सफलतापूर्वक निष्पादित तथा पूरा कर लिया, अर्थात् निर्धारित समापन तिथि से काफी पहले, और इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक समापन प्रमाण पत्र जारी किया गया था। कार्य निष्पादन के दौरान, संबंधित उत्तरवादी विभाग द्वारा संविदा की शर्तों के अनुसार विभिन्न चरणों में भुगतान किया गया था। प्रोत्साहन बोनस को छोड़कर अंतिम करार विधेयक 19.12.2019 को जारी किया गया था, जिसे आवेदक ने विरोध जताते हुए स्वीकार किया था। करार की धारा 5 के अनुसार, याचिकाकर्ता ने 05.11.2018 को एक लिखित वचन पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उसने समय विस्तार का अनुरोध करने के अपने अधिकार को स्पष्ट रूप से त्याग दिया, जिससे करार के खंड 5.3 के तहत प्रोत्साहन बोनस के हकदार होने के लिए आवश्यक सभी शर्तें पूरी हो गईं। करार के खंड 5.3 में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि यदि ठेकेदार मूल निर्धारित समय से पहले कार्य पूरा कर लेता है और समय विस्तार का दावा करने के अपने अधिकार को त्याग देता है, तो ठेकेदार निर्धारित दरों पर प्रोत्साहन बोनस के भुगतान का हकदार होगा। आवेदक ने उक्त खंड के अंतर्गत सभी शर्तों को



पूरा कर लिया था, इसलिए वह प्रोत्साहन बोनस का विधिक रूप से हकदार हो गया। दिनांक 05.11.2018 का वचन पत्र उत्तरवादी अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से और डाक द्वारा विधिवत रूप से भेजा गया था। विद्युतीकरण सहित संपूर्ण कार्य पूर्ण हो जाने के बावजूद, और किए गए कार्य की गुणवत्ता या मात्रा को लेकर कोई विवाद न होने के बावजूद, संबंधित अधिकारियों ने मनमाने ढंग से प्रोत्साहन बोनस रोक दिया। करार के तहत आवेदक द्वारा अपने हक का दावा करते हुए बार-बार किए गए अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया गया था। दिनांक 11.11.2019 और 03.12.2019 को प्रारंभिक अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए, जिसके बाद संबंधित मंत्री के कार्यालय सहित उच्च अधिकारियों द्वारा प्रकरण को आगे बढ़ाया गया; हालांकि, कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। इस बीच, प्रोत्साहन बोनस को छोड़कर अंतिम विधेयक 19.12.2019 को जारी किया गया, जिसे आवेदक ने विरोध सहित स्वीकार कर लिया। चूंकि उत्तरवादी अधिकारियों ने अभ्यावेदनों पर कार्यवाही करने में विफल रहे, याचिकाकर्ता ने डब्ल्यूपीसी संख्या 461/2020 दायर करके इस न्यायालय का रुख किया, जिसका निराकरण 03.02.2020 को किया गया और उत्तरवादीगण को करार के अनुसार प्रोत्साहन बोनस और ब्याज के लिए आवेदक के दावे पर विचार करने का निर्देश दिया गया। इस न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, आवेदक ने दिनांक 11.02.2020 को एक नया विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। यद्यपि, उत्तरवादी अधिकारियों ने अपने पूर्व रुख को दोहराते हुए दिनांक 03.03.2019 और 06.07.2020 के पत्रों के माध्यम से इस न्यायालय के आदेश के आलोक में प्रकरण पर पुनर्विचार किए बिना दावे को अस्वीकार कर दिया। इस अस्वीकृति के कारण करार की धारा 28 के अंतर्गत एक औपचारिक विवाद उत्पन्न हुआ। इसके बाद, आवेदक ने धारा 28 के तहत विवाद समाधान तंत्र का सहारा लेते हुए निर्धारित समय के भीतर अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता और अन्य उच्च अधिकारियों को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए। इन सभी अभ्यावेदनों को अस्वीकार कर दिया गया, और अंतिम अस्वीकृति की सूचना मुख्य अभियंता द्वारा दिनांक 24.11.2020 के आदेश के माध्यम से दी गई थी। इस अस्वीकृति से असंतुष्ट होकर, आवेदक ने डब्ल्यू. पी. सी. संख्या 3320/2020 दायर की, जिसे मध्यस्थता के वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के आधार पर 11.08.2021 को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद दायर की गई रिट अपील और विशेष अनुमति याचिका भी खारिज कर दी गई, जिसके परिणामस्वरूप 21.03.2022 को एसएलपी संख्या 4304/2022 खारिज कर दी गई। यह निवेदन है कि संदर्भ दायर करने का कारण 24.11.2020 के अस्वीकृति आदेश से उत्पन्न हुआ था, और कोविड-19 महामारी के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के कारण परिसीमा अवधि बढ़ा दी गई थी। परिणामस्वरूप, विद्वान न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किया गया संदर्भ परिसीमा के भीतर था और करार के खंड 28 का विधिवत अनुपालन किया गया था। निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने या समय विस्तार से छूट देने का वचन प्रस्तुत करने के संबंध में कोई विवाद नहीं है। विवाद केवल प्रोत्साहन बोनस के मनमाने ढंग से भुगतान न किए जाने से संबंधित है, जो करार की स्पष्ट शर्तों, विशेष रूप से खंड 5.3 के विपरीत है। इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, आवेदक ने छत्तीसगढ़ मध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 की धारा 7 के तहत अपने दावों के निराकरण के लिए एक याचिका दायर की है। उत्तरवादीगण ने वाद की स्वीकार्यता के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति उठाई, जिसका आवेदक ने विधिवत उत्तर दिया। हालांकि, माननीय न्यायाधिकरण ने विवाद का गुण-दोष के आधार पर निर्णय करने के बजाय, प्रारंभिक



आपत्ति को गलत तरीके से स्वीकार कर लिया और संदर्भ याचिका को खारिज कर दिया, जिसके कारण यह दीवानी पुनरीक्षण याचिका दायर की गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि माननीय न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 14.02.2025 को पारित आक्षेपित निर्णय प्रथम दृष्टया अवैध, विकृत और विधिविधि के विरुद्ध है। माननीय न्यायाधिकरण ने पक्षकारों के बीच एक सक्रिय और मध्यस्थता योग्य विवाद के अस्तित्व के बावजूद, दावे के गुण-दोष पर निर्णय किए बिना, याचिका को विचारणीयता के आधार पर खारिज करके विधि की स्पष्ट त्रुटि की है। यह भी निवेदन है कि माननीय न्यायाधिकरण मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को उचित परिप्रेक्ष्य में समझने में विफल रहा है और उसने अति-तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया है, जिससे आवेदक के लिए कोई उपाय नहीं बचा है। इस प्रकार का दृष्टिकोण छत्तीसगढ़ मध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 के मूल उद्देश्य को ही विफल कर देता है, जिसका उद्देश्य राज्य से जुड़े संविदात्मक विवादों के समाधान के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करना है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उत्तरवादी अधिकारियों द्वारा दावे को अस्वीकार करना, निर्धारित समय के भीतर कार्य पूर्ण होने, पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने और समय विस्तार से छूट देने का वचन पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद प्रोत्साहन बोनस का भुगतान न करना मनमाना, भेदभावपूर्ण, अवैध, अधिकार क्षेत्र से बाहर और संविदा की स्पष्ट शर्तों के विपरीत है। माननीय न्यायाधिकरण इस मनमानी की जांच करने में विफल रहा और उसने यांत्रिक रूप से उत्तरवादीगण के रुख का समर्थन किया। यह निवेदन किया जाता है कि माननीय न्यायाधिकरण विधि की स्थापित स्थिति को समझने में विफल रहा है कि कोई भी संविदात्मक खंड जो किसी पक्ष को उसके अधिकारों को लागू करने से पूर्णतः प्रतिबंधित करता है या परिसीमा की वैधानिक अवधि को कम करता है, संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 28 के तहत उस हद तक शून्य है। माननीय न्यायाधिकरण द्वारा अपनाई गई व्याख्या आवेदक के उपाय को समाप्त कर देती है और इसलिए विधिक रूप से अस्थिर है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि यह विधि का एक मूलभूत सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति न्यायालयों के संरक्षण से बाहर संविदा नहीं कर सकता है। इसका मूल उद्देश्य निष्पक्षता सुनिश्चित करना है, विशेषकर तब जब पक्षकार समान स्थिति में न हों। इसलिए न्यायालयों और न्यायाधिकरणों का यह कर्तव्य है कि वे संविदा की शर्तों की व्याख्या इस प्रकार करें जिससे न्याय को बढ़ावा मिले और उपचार सुरक्षित रहें, न कि संकीर्ण और तकनीकी व्याख्या अपनाकर वैध दावों को विफल किया जाए। यह तर्क दिया जाता है कि जहां किसी संविदात्मक खंड की दो व्याख्याएं संभव हों, वहां उस व्याख्या को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो उपचार को जीवित रखती है। वर्तमान प्रकरण में, करार परिसीमा अवधि को सीमित नहीं करता है, बल्कि केवल उस चरण को निर्धारित करता है जिस पर दावे की अस्वीकृति के बाद अधिकार स्पष्ट हो जाते हैं। अतः दावे की अस्वीकृति के बाद संदर्भ दाखिल करना संविदा अधिनियम की धारा 28 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि माननीय न्यायाधिकरण यह समझने में विफल रहा कि करार में ऐसा कोई खंड नहीं है जो संविदा अधिनियम की धारा 28 के विपरीत हो, और न ही यह कोई अनुचित प्रतिबंध लगाता है जिसके तहत दावेदार को धारा 28 के तहत अंतिम प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृति से पहले न्यायाधिकरण से संपर्क करना आवश्यक हो। विलंबित संदर्भ को बाधा मानना, वास्तव में, धारा 28 के तहत खंड को अमान्य हो सकता है। आगे यह निवेदन किया जाता है कि माननीय न्यायाधिकरण ने यह त्रुटिपूर्ण ढंग



से यह अभिनिर्धारित किया कि आवेदक ने करार की धारा 28 के तहत निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया था और इसी आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि न्यायाधिकरण के पास क्षेत्राधिकार नहीं है। ऐसा निष्कर्ष पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है और अभिलेख में मौजूद सामग्री के विपरीत है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक के अधिकार का दावा करते समय ही दावा किया गया था और इसका प्रवर्तन केवल विवाद उत्पन्न होने के बाद ही हुआ, जब कार्यकारी अभियंता ने दिनांक 3.03.2020 के पत्र द्वारा और अंततः मुख्य अभियंता ने दिनांक 24.11.2020 के आदेश द्वारा दावे को अस्वीकार कर दिया। अतः न्यायाधिकरण में जाने का कारण केवल 24.11.2020 को ही उत्पन्न हुआ। करार अधिकारों के दावे से संबंधित है, न कि न्यायिक मंच के समक्ष प्रवर्तन से, जो विधि द्वारा शासित है।

4. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि माननीय न्यायाधिकरण ने प्रारंभिक आपत्ति के जवाब में आवेदक द्वारा प्रस्तुत विशिष्ट उत्तर पर विचार नहीं किया, जिसमें धारा 28 के तहत अस्वीकृति की पूरी कालानुक्रमिक जानकारी स्पष्ट रूप से दी गई थी, जिसमें कार्यकारी अभियंता, अधीक्षण अभियंता और अंत में मुख्य अभियंता द्वारा 24.11.2020 को की गई अस्वीकृति भी शामिल थी। यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया था कि परिसीमा अवधि 24.11.2020 से शुरू होकर 24.11.2021 को समाप्त होगी। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वाद के पहले चरण में, इस न्यायालय ने उत्तरवादी अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था कि वे आवेदक के दावे पर करार के अनुसार विचार करें। इसी निर्देश के अनुसरण में, पहली बार औपचारिक अस्वीकृति की सूचना दी गई, जिसके परिणामस्वरूप 24.11.2020 का अंतिम आदेश पारित हुआ। माननीय न्यायाधिकरण ने इस महत्वपूर्ण पहलू को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। यह निवेदन किया जाता है कि संविदा में खंड 5.3 को शामिल करने का उद्देश्य कार्य को समय से पहले पूरा करने के लिए प्रोत्साहन देना और विलंब के कारण लागत में वृद्धि को रोकना है। आवेदक ने निर्धारित समय से काफी पहले कार्य पूरा कर लिया, जिससे खंड का मूल उद्देश्य ही सिद्ध हो गया, और इसलिए वह संविदात्मक अधिकार के रूप में प्रोत्साहन बोनस का हकदार है। विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि खंड 5.3 के अंतर्गत ठेकेदार को केवल समय विस्तार का अनुरोध करने के अधिकार को त्यागना आवश्यक है। वर्तमान प्रकरण में, आवेदक का कार्य समय से पहले पूरा करने का आशय कार्य कार्यक्रम, पत्राचार और प्रस्तुत वचनपत्र से स्पष्ट है। इस प्रकार के वचनपत्र के लिए किसी निर्धारित प्रारूप के अभाव में, आवेदक के आचरण और संचार को पर्याप्त अनुपालन माना जाना चाहिए था। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि कार्य पूर्ण हो चुका है, पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है और वचन पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। संविदा में उल्लिखित आधारों के अलावा अन्य आधारों पर प्रोत्साहन बोनस रोकना मनमाना, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन और तर्कहीनता का दोष है। विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि न्यायाधिकरण को दावा याचिका स्वीकार कर लेनी चाहिए थी और यह मानना चाहिए था कि दावे की अस्वीकृति और प्रोत्साहन बोनस का भुगतान न करना मनमाना, अवैध, अनुचित और केवल आवेदक को परेशान करने के उद्देश्य से किया गया है। आगे यह तर्क दिया गया है कि उत्तरवादी अधिकारियों की कार्यवाही मनमानी और पारदर्शिता की कमी से प्रेरित है, और माननीय न्यायाधिकरण इस पहलू की जांच करने में विफल रहा, जिससे याचिकाकर्ता को गंभीर नुकसान हुआ है। विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि माननीय न्यायाधिकरण ने खंड 28 के अनुपालन न होने का त्रुटिपूर्ण निर्णय लिया है और उसने **संजय दुबे बनाम मध्य**



प्रदेश राज्य, 2012 एमपीएलजे 212 के निर्णय पर त्रुटिपूर्ण तरीके से भरोसा किया है, वर्तमान प्रकरण के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को समझे बिना। यह निवेदन किया जाता है कि विवादित निर्णय के कंडिका 11, 13 और 14 में दर्ज निष्कर्ष, जिसमें यह कहा गया है कि धारा 28 का अनुपालन नहीं किया गया था और समय सीमा का कड़ाई से पालन नहीं किया गया था, स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण, अभिलेख के विपरीत और विधि में अस्थिर हैं। संदर्भ को सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज करके, माननीय न्यायाधिकरण ने आवेदक को पूरी तरह से उपायहीन बना दिया है, जो संविदा अधिनियम की धारा 28 का स्पष्ट उल्लंघन है। विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि यह पुनरीक्षण याचिका समय सीमा के भीतर दायर की गई है, क्योंकि दिनांक 14.02.2025 के विवादित निर्णय की प्रमाणित प्रति याचिकाकर्ता को 10.03.2025 को प्राप्त हुई थी। उपरोक्त निवेदनों के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख देते हैं, जैसे कि गैन्नन डंकरले एंड कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ, इंदर सिंह रेखी बनाम डीडीए, और नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बनाम जी.सी. कानूनगो, जिनमें स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि परिसीमा कार्यवाही के कारण की उत्पत्ति से शुरू होती है और विवाद केवल दावे के अभिकथन और खंडन पर ही उत्पन्न होता है।

5. प्रारंभ में, विद्वान राज्य अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि माननीय न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 14.02.2025 को पारित आक्षेपित निर्णय वैध, न्यायसंगत और संविदा की शर्तों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ मध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 के प्रावधानों के पूर्णतः अनुरूप है। न्यायाधिकरण ने पक्षकारों के अभिवेदनों, दस्तावेजों और संविदात्मक योजना का मूल्यांकन करने के बाद संदर्भ याचिका को विचारणीय न मानते हुए उचित ढंग से खारिज कर दिया है। निवेदन किया गया है कि न्यायाधिकरण ने कथित तौर पर अति-तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाया है, बल्कि आवेदक द्वारा स्वेच्छा से स्वीकार किए गए संविदात्मक दायित्वों को ही लागू किया है। आवेदक, एक अनुभवी ए-श्रेणी का ठेकेदार होने के नाते, पूरी जानकारी के साथ इस करार में शामिल हुआ है और इसमें निर्धारित विवाद समाधान तंत्र और समयसीमाओं, विशेष रूप से समझौते के खंड 28 के तहत, का पालन करने के लिए बाध्य है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि करार के खंड 5.3 के तहत प्रोत्साहन बोनस का हकदार होना स्वतः नहीं है और इसमें निर्धारित शर्तों का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है। आवेदक संविदा में निर्धारित समय सीमा के भीतर और निर्धारित तरीके से अनिवार्य प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा। निर्धारित तिथि से पहले कार्य पूरा करने मात्र से प्रोत्साहन बोनस का स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है। यह भी निवेदन किया जाता है कि समय विस्तार का अनुरोध करने के अधिकार को त्यागने का वचन पत्र संविदा की शर्तों के अनुसार और उचित चरण में प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस प्रकार का वचन पत्र प्रस्तुत करने में देरी और याचिकाकर्ता के असंगत आचरण के कारण आवेदक प्रोत्साहन बोनस का दावा करने का हकदार नहीं है। इसलिए उत्तरवादी अधिकारियों ने उचित विचार-विमर्श के बाद दावे को उचित ढंग से खारिज कर दिया है। विद्वान राज्य अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक के दावे की अस्वीकृति को मनमाना या भेदभावपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। सक्षम अधिकारियों ने कार्यकारी अभियंता, अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता सहित कई स्तरों पर दावे की जांच की और लगातार पाया कि याचिकाकर्ता ने संविदात्मक आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया है। निर्णय तर्कसंगत थे और करार के अनुसार ही लिए गए थे। यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक



द्वारा संविदा अधिनियम की धारा 28 पर भरोसा करना भ्रामक है। करार के खंड 28 न तो वैधानिक परिसीमा अवधि को कम करती है और न ही न्यायालयों तक पहुंच को प्रतिबंधित करती है। यह केवल एक संरचित और समयबद्ध विवाद समाधान तंत्र प्रदान करती है, जो कानूनन मान्य है। ऐसी सहमत समय-सीमाओं का पालन न करने पर संविदात्मक उपाय का वैध रूप से हनन हो जाता है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करता है कि यह सिद्धांत कि "कोई भी व्यक्ति न्यायालयों के संरक्षण से स्वयं को वंचित नहीं कर सकता है" वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होता है। आवेदक को किसी भी मंच पर जाने से नहीं रोका गया था; बल्कि, आवेदक निर्धारित समय के भीतर संविदात्मक विवाद समाधान तंत्र का उपयोग करने में विफल रहा। अतः, उपचार का अभाव याचिकाकर्ता की स्वयं की चूक का परिणाम है, न कि किसी अवैध संविदात्मक प्रतिबंध का। यह निवेदन किया जाता है कि न्यायाधिकरण ने सही ढंग से अभिनिर्धारित किया है कि खंड 28 का अनुपालन न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए एक पूर्व शर्त है। उक्त खंड का कड़ाई से अनुपालन न होने के कारण, न्यायाधिकरण ने संदर्भ याचिका पर विचार करने से उचित रूप से इनकार कर दिया। इसलिए, यह निष्कर्ष कि क्षेत्राधिकार लागू नहीं होता है, सही और निर्विवाद है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आवेदक द्वारा बताए गए वाद के कारण को मुख्य अभियंता के दिनांक 24.11.2020 के आदेश की तिथि तक कृत्रिम रूप से स्थगित नहीं किया जा सकता है। आवेदक को अपने दावे की अस्वीकृति की जानकारी बहुत पहले से थी, और जिन पत्राचारों पर भरोसा किया गया है, वे स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि विवाद उससे पहले ही उत्पन्न हो चुका था। अतः, यह प्रकरण समय सीमा के कारण पूरी तरह से खारिज हो गया था। यह भी निवेदन किया जाता है कि इस उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिकाओं और उच्च न्यायालयों में चल रही कार्यवाही से धारा 28 के अंतर्गत निर्धारित संविदात्मक समयसीमा स्वतः विस्तारित या निलंबित नहीं होती है। आवेदक ने जानबूझकर समय रहते मध्यस्थता का सहारा लेने के बजाय रिट याचिका के माध्यम से विधिक कार्यवाही का विकल्प चुना और अब वह अपने ही आचरण का लाभ उठाने की प्रयास नहीं कर सकता है।

6. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि आवेदक द्वारा उद्धृत निर्णय तथ्यों के आधार पर स्पष्ट रूप से भिन्न हैं और याचिकाकर्ता के हित में नहीं हैं। वर्तमान प्रकरण में, करार में विवादों को उठाने का तरीका और समय स्पष्ट रूप से उल्लिखित है, जिसका याचिकाकर्ता ने पालन नहीं किया। आगे यह निवेदन किया जाता है कि समय पर कार्य पूर्ण करने को प्रोत्साहित करने के लिए खंड 5.3 को शामिल किया गया है, लेकिन यह प्रोत्साहन संविदा की शर्तों का कड़ाई से पालन करने पर निर्भर है। आवेदक संविदा की स्पष्ट शर्तों के विपरीत न्यायसंगत अनुतोष की मांग नहीं कर सकता है। न्यायालय और न्यायाधिकरण न्याय के नाम पर संविदा को पुनर्लिखित नहीं कर सकते हैं। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि माननीय न्यायाधिकरण ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के संजय दुबे बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2012 एमपीएलजे 212 के फैसले पर सही ढंग से भरोसा किया है और वर्तमान मामले के तथ्यों पर उसके अनुपात को सही ढंग से लागू किया है। खंड 28 का अनुपालन न करने के कारण संदर्भ को अनुमेय न मानने का निष्कर्ष स्थापित कानून के अनुरूप है। यह प्रस्तुत किया गया है कि मनमानी, दुर्भावना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आरोप निराधार, अस्पष्ट और किसी भी सबूत से समर्थित नहीं हैं। आवेदक को प्रत्येक चरण में अपना पक्ष रखने का



पर्याप्त अवसर दिया गया था, और उचित विचार-विमर्श के बाद ही दावे को अस्वीकार किया गया था। राज्य के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि न्यायाधिकरण ने न तो करार की त्रुटिपूर्ण व्याख्या की है और न ही किसी महत्वपूर्ण तथ्य की अनदेखी की है। इसके विपरीत, इसने संविदा की शर्तों और पक्षों के आचरण के आधार पर स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किए हैं। अतः पुनरीक्षण में हस्तक्षेप उचित नहीं है, क्योंकि कोई क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि या महत्वपूर्ण अनियमितता सिद्ध नहीं हुई है। उपरोक्त प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वर्तमान पुनरीक्षण याचिका योग्यताहीन होने के कारण खारिज कर दी जाए और माननीय न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 14.02.2025 को पारित आक्षेपित निर्णय को यथावत रखा जाए।

7. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और अभिवेदनों, अभिलेखों पर रखे गए दस्तावेजों और माननीय न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 14.02.2025 को पारित आक्षेपित निर्णय का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

8. अभिलेखों के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि संबंधित कार्य के निष्पादन हेतु पक्षों के बीच क्रमांक 64/डी.एल./2017-18 का करार हुआ था। उक्त करार के खंड 28 में मध्यस्थता खंड शामिल है और इसमें विवाद समाधान के लिए एक संरचित तंत्र का प्रावधान है। खंड 28 को संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है:

"मध्यस्थता खंड:

खंड 28 इस संविदा में अन्यथा दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, इस संविदा में उल्लिखित विनिर्देशों, डिज़ाइनों, रेखाचित्रों और निर्देशों के अर्थ से संबंधित सभी प्रश्न और विवाद, इस संविदा में अन्यथा दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, इस संविदा में उल्लिखित किसी भी चीज़ से संबंधित सभी प्रश्न और विवाद, जो किसी भी तरह से संविदा से उत्पन्न होते हैं या उससे संबंधित हैं, जैसे कि डिज़ाइन, रेखाचित्र, विनिर्देश, अनुमान, कार्य से संबंधित, या उनके निष्पादन या निष्पादन में विफलता, चाहे कार्य की प्रगति के दौरान उत्पन्न हों या उसके परित्याग के बाद, अधीक्षण अभियंता को उनके निर्णय के लिए 30 (तीस) दिनों की अवधि के भीतर संदर्भित किए जाएंगे। इसके बाद अधीक्षण अभियंता ठेकेदार और कार्यकारी अभियंता की बात सुनने के बाद, अनुरोध प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर लिखित निर्देश और/या निर्णय देंगे। पक्षों की आपसी सहमति से इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। अधीक्षण अभियंता के लिखित निर्देश या निर्णय प्राप्त होने पर, पक्षकार बिना किसी विलंब के ऐसे निर्देशों या निर्णयों का पालन करने के लिए तुरंत आगे बढ़ेंगे। यदि अधीक्षण अभियंता अनुरोध किए जाने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर या पारस्परिक रूप से सहमत समय के भीतर लिखित रूप में निर्देश या निर्णय देने में विफल रहते हैं और/या, यदि पक्षकार अधीक्षण अभियंता के निर्णय से असंतुष्ट हैं, तो असंतुष्ट पक्षकार 30 दिनों के भीतर मुख्य अभियंता के समक्ष अपील कर सकते हैं, जो पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करेंगे और उन्हें अपनी अपील के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देंगे। मुख्य अभियंता 30 (तीस) दिनों के भीतर या आपसी सहमति से तय की गई अवधि के भीतर अपना निर्णय देंगे। यदि कोई पक्ष मुख्य अभियंता के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह मध्यस्थता न्यायाधिकरण में मध्यस्थता के माध्यम से विवाद के समाधान के लिए याचिका दायर कर सकता है। मध्यस्थता न्यायाधिकरण को



मामला भेजे जाने के आधार पर ठेकेदार कार्य जारी नहीं रख सकता है।उपरोक्त खंड 8 के अनुसार कार्यकारी अभियंता द्वारा करार की मूल शर्तों और नियमों के अनुसार भुगतान जारी रखा जाएगा।"

9. इस खंड के अनुसार, जब भी कोई विवाद उत्पन्न होता है, ठेकेदार को सर्वप्रथम अपनी शिकायत कार्यकारी अभियंता के समक्ष, उसके बाद अधीक्षण अभियंता के समक्ष और अंत में मुख्य अभियंता के समक्ष उठानी होगी। विवाद का समाधान मुख्य अभियंता के स्तर तक न होने पर ही पक्षकार विवाद को न्यायाधिकरण के समक्ष संदर्भित करने के लिए संपर्क कर सकते हैं।धारा 28 का सरसरी तौर पर अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि न्यायाधिकरण के समक्ष संदर्भ के लिए विवाद तभी अंतिम रूप लेता है जब मुख्य अभियंता द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया जाता है।यह धारा विभागीय उपायों के उपयोग से पहले मध्यस्थता का आह्वान करने का प्रावधान नहीं करती है।अतः, धारा 28 का अनुपालन एक पूर्व शर्त है, और न्यायाधिकरण में जाने का आधार मुख्य अभियंता द्वारा अंतिम अस्वीकृति के बाद ही बनता है।

10. वर्तमान प्रकरण में, अभिलेख से पता चलता है कि आवेदक के प्रोत्साहन बोनस के दावे की जांच संविदा की धारा 28 के तहत विभिन्न स्तरों पर की गई थी।अंततः, संबंधित मुख्य अभियंता ने दिनांक 24.11.2020 के आदेश द्वारा दावे को अस्वीकार कर दिया।इस प्रकार, विवाद, शब्द के सटीक अर्थ में, दिनांक 24.11.2020 को उत्पन्न हुआ, जब संविदा के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावे को अंतिम रूप से अस्वीकार कर दिया गया।

11. इस स्तर पर, छत्तीसगढ़ मध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 की धारा 7-बी(1) का उल्लेख करना उचित होगा, जिसमें न्यायाधिकरण के समक्ष संदर्भ दाखिल करने की समय सीमा निर्धारित की गई है। धारा 7-बी(1) को संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है:

"7-बी. परिसीमा।- [(1) न्यायाधिकरण किसी संदर्भ याचिका को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि- (क) विवाद को पहले कार्य अनुबंध की शर्तों के तहत अंतिम प्राधिकारी के निर्णय के लिए संदर्भित न किया गया हो; और(ख) न्यायाधिकरण को याचिका अंतिम प्राधिकारी के निर्णय की सूचना की तिथि से एक वर्ष के भीतर न दी गई हो;परंतु कि यदि अंतिम प्राधिकारी विवाद को संदर्भित किए जाने की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर निर्णय करने में विफल रहता है, तो न्यायाधिकरण को याचिका उक्त छह महीने की अवधि की समाप्ति के एक वर्ष के भीतर दायर की जाएगी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से पूर्व या इसके प्रारंभ होने के बाद, लेकिन मध्य प्रदेश मध्यस्थम अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 1990 के प्रारंभ होने से पूर्व किसी न्यायालय के समक्ष कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं हुई है, तो मध्य प्रदेश मध्यस्थम अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 1990 के प्रारंभ होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर संदर्भ याचिका पर विचार किया जाएगा, चाहे समझौते के अंतर्गत अंतिम प्राधिकारी द्वारा कोई निर्णय लिया गया हो या नहीं।(2-ए) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, न्यायाधिकरण किसी संदर्भ याचिका को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि वह कार्य अनुबंध की समाप्ति, निरस्तीकरण, परित्याग या किसी अन्य तरीके से समाप्त होने की तिथि से तीन वर्ष के



भीतर न की गई हो, या जब कार्य अनुबंध के लंबित रहने के दौरान कोई विवाद उत्पन्न हो।परंतु कि यदि राज्य सरकार द्वारा कोई संदर्भ याचिका दायर की जाती है, तो ऐसी अवधि तीस वर्ष होगी।

छत्तीसगढ़ संशोधन

धारा 7-बी का संशोधन-छत्तीसगढ़ मध्यस्थम अधिकारण अधिनियम, 1983 (संख्या 29 वर्ष 1983) की धारा 7-बी की उपधारा 2 के बाद(जिसे आगे प्रधान अधिनियम कहा गया है)निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्: --

"(2-ए) उप-धारा (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी,न्यायाधिकरण किसी संदर्भ याचिका को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि वह कार्य संविदा की समाप्ति, निरस्तीकरण,त्याग या किसी अन्य तरीके से समाप्त होने की तिथि से तीन वर्षों के भीतर न की गई हो, या जब कार्य संविदा के लंबित रहने के दौरान कोई विवाद उत्पन्न हो:परंतु कि यदि राज्य सरकार द्वारा कोई संदर्भ याचिका दायर की जाती है,तो ऐसी अवधि तीस वर्ष होगी।[2005 के सी. जी. अधिनियम संख्या 3 के माध्यम से]

12. उक्त प्रावधान के अनुसार, कार्यवाही का कारण उत्पन्न होने की तिथि से तीन वर्ष के भीतर संदर्भ देना आवश्यक है, अर्थात् संविदा के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावे की अंतिम अस्वीकृति की तिथि से।हालांकि, यह रिकॉर्ड में दर्ज है कि इस बीच, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर, न्यायिक और अर्ध-न्यायिक कार्यवाही के लिए परिसीमा अवधि को 15 मार्च, 2020 से 28 फरवरी, 2022 तक बढ़ाने और घटाने के कई आदेश पारित किए थे।ये आदेश न्यायाधिकरणों के समक्ष कार्यवाही पर भी लागू थे।

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने सिविल मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए दिनांक 10.01.2022 को एक आदेश पारित किया है, जो (2022) 3 एससीसी117, परिसीमा विस्तार के लिए संज्ञान, इन रस. में प्रकाशित हुआ है, औरनिम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:

5. विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर वायरस के प्रकोप के प्रभाव तथा मौजूदा परिस्थितियों में वादियों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, हम एम.ए. संख्या 21/2022 का निराकरण निम्नलिखित निर्देशों के साथ करना उचित समझते हैं:

I. दिनांक 23.03.2020 का आदेश पुनः स्थापित किया जाता है और दिनांक 08.03.2021, 27.04.2021 और 23.09.2021 के बाद के आदेशों के क्रम में यह निर्देश दिया जाता है कि 15.03.2020 से 28.02.2022 तक की अवधि को सभी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यवाही के संबंध में किसी भी सामान्य या विशेष विधि के तहत निर्धारित परिसीमा के प्रयोजनों के लिए बाहर रखा जाएगा।

II. परिणामस्वरूप, 03.10.2021 को शेष परिसीमा अवधि, यदि कोई हो, 01.03.2022 से प्रभावी हो जाएगी।

III. ऐसे मामलों में जहां परिसीमा अवधि 15.03.2020 से 28.02.2022 के बीच समाप्त हो गई होती, वास्तविक शेष परिसीमा अवधि के बावजूद, सभी व्यक्तियों के लिए 01.03.2022 से 90 दिनों की परिसीमा



अवधि होगी। यदि 01.03.2022 से प्रभावी वास्तविक शेष परिसीमा अवधि 90 दिनों से अधिक है, तो वह लंबी अवधि लागू होगी।

IV. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि 15.03.2020 से 28.02.2022 तक की अवधि मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 23(4) और 29 ए, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12 ए और परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के परंतुक (ख) और (ग) और किसी अन्य कानून के तहत निर्धारित अवधियों की गणना में भी शामिल नहीं होगी, जो कार्यवाही शुरू करने की परिसीमा अवधि, बाहरी सीमा (जिसके भीतर न्यायालय या न्यायाधिकरण विलंब को क्षमा कर सकता है) और कार्यवाही की समाप्ति निर्धारित करते हैं।"

14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार, कोविड-19 के कारण दी गई छूट की अवधि को परिसीमा की गणना करते समय शामिल नहीं किया जाना चाहिए। उक्त अवधि को हटाकर और परिसीमा की पुनः गणना करने पर यह स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा दिनांक 23.09.2022 को दायर किया गया संदर्भ आवेदन निर्धारित परिसीमा अवधि के अंतर्गत आता है।

15. माननीय न्यायाधिकरण ने संदर्भ को सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज करते समय करार के खंड 28 के सही अर्थ और अधिनियम की धारा 7-बी(1) के तहत निहित वैधानिक प्रावधान पर विचार नहीं किया है। न्यायाधिकरण ने कोविड-19 महामारी के कारण परिसीमा अवधि बढ़ाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के प्रभाव को भी अनदेखा किया है। इस प्रकार, न्यायाधिकरण द्वारा संदर्भ को परिसीमा से बाधित मानने का दृष्टिकोण कानूनी रूप से अस्थिर पाया गया है।

16. एक बार जब यह मान लिया गया कि वाद का कारण 24.11.2020 को उत्पन्न हुआ था और कोविड-19 की अवधि को छोड़कर, संदर्भ याचिका समयसीमा के भीतर दायर की गई थी, तो माननीय न्यायाधिकरण का याचिका की गैर-स्वीकार्यता संबंधी निर्णय मान्य नहीं हो सकता है। न्यायाधिकरण को विवाद का निपटारा योग्यता के आधार पर करना चाहिए था, न कि समयसीमा के अति-तकनीकी आधार पर आवेदक को खारिज करना चाहिए था। तदनुसार, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दायर संदर्भ याचिका समयसीमा के भीतर थी और स्वीकार्य थी। 14.02.2025 का आक्षेपित निर्णय, जहां तक यह स्वीकार्यता के आधार पर संदर्भ याचिका को खारिज करता है, विधि की स्पष्ट त्रुटि से ग्रस्त है।

17. परिणामस्वरूप, माननीय न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 14.02.2025 को पारित आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है। प्रकरण को माननीय न्यायाधिकरण को पुनः विचार और विधि के अनुसार गुण-दोष के आधार पर निर्णय हेतु वापस भेजा जाता है। इस पर कोई वाद व्यय देय का कोई आदेश नहीं किया जाता है।

सही/-

(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)

न्यायाधीश



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

